



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तररेलवे/गोरखपुर-273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक-38

आर.बी.ई. सं.-NIL

File No: NER-HQ0PERS(POLI)/22/2023-O/o SPO/HQ/HQ/NER (Computer No: 90577) दिनांक 16.03.2023


सभी विभागाध्यक्ष, प्रविस, सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी, सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

विषय :- पदोन्नति के पश्चात वेतन-निर्धारण के सम्बन्ध में ।

विषयगत मामलों में नर्सिंग अधीक्षक लेवल-7 से वरिष्ठ नर्सिंग अधीक्षक लेवल-8 में पदोन्नति के पश्चात् वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश मॉगा गया है, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि RBE No. 212/ 2019 के साथ संलग्न DoP&T का पत्र दिनांक 28.11.2019 के पैरा-6 एवं RBE No. 79/2017 के साथ संलग्न DoP&T के पत्र दिनांक 27.07.2017 के पैरा- 3 (I) (II) एवं (III) में वेतन निर्धारण से सम्बन्धित निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के अनुसार विषयांकित सभी मामले में कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा उपरोक्तानुसार कार्रवाई करते समय निम्न तथ्यों पर ध्यान दिया जाए-


- 1- यदि कर्मचारी पदोन्नति-तिथि से वेतन-निर्धारण हेतु विकल्प देता है, तो उसे लोवर ग्रेड (जिस ग्रेड से पदोन्नति पाया है) में एक नोशनल वेतन वृद्धि देते हुए हायर ग्रेड (जिस ग्रेड में पदोन्नति पाया है) के समतुल्य राशि वाले सेल से मिलान करते हुए वेतन निर्धारित किया जाए। यदि हायर ग्रेड में समतुल्य राशि वाला सेल उपलब्ध नहीं है, तो उसे अगले सेल में रखा जाएगा ।
- 2- यदि कर्मचारी अपनी अगली वेतन वृद्धि तिथि से वेतन-निर्धारण हेतु विकल्प देता है, तो पदोन्नति-तिथि से लोवर ग्रेड (जिस ग्रेड से पदोन्नति पाया है) तथा हायर ग्रेड में समान अथवा असमान सेल, दोनों ही स्थिति में, हायर ग्रेड (पदोन्नति ग्रेड) के अगले उच्चतर सेल में वेतन-निर्धारण किया जाएगा तथा अगली वेतन वृद्धि की तिथि को लोवर ग्रेड में दो वेतन वृद्धि (एक वार्षिक वेतन वृद्धि तथा एक नोशनल वेतन वृद्धि) देते हुए हायर ग्रेड के समतुल्य राशि वाले सेल से मिलान करते हुए वेतन निर्धारित किया जाएगा। यदि हायर ग्रेड में समतुल्य राशि वाला सेल उपलब्ध नहीं है, तो उसे अगले सेल में रखा जाएगा ।

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।


16.3.23
(प्रदीप कुमार)
वकाधि/मुख्या.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) सचिव/महाप्रबन्धक (2) सचिव/अपर महाप्रबन्धक (3) महामंत्री/एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर
- (4) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर (5) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर
- (6) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर।
- (7) सकाधि/ल.न.मि.रे.चि./गोरखपुर का का नोट दिनांक 24.02.2003 के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित ।


16.3.23
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तररेलवे/गोरखपुर-273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

शुद्धि पत्र


इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक पत्र **File No: NER-HQ0PERS(POLI)/22/2023-O/o SPO/HQ/HQ/NER (Computer No: 90577)** दिनांक 16.03.2023 में प्रतिलिपि के क्रम संख्या-7 पर अंकित सकाधि/ल.न.मि.रे.चि./गोरखपुर का नोट दिनांक 24.02.2003 त्रुटिवश टंकित हो गया है, जिसके स्थान पर दिनांक 24.02.2023 पढ़ा जाए ।

(प्रदीप कुमार)
वकाधि/मुख्या.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

File No: NER-HQ0PERS(POLI)/22/ 2023-O/o SPO/HQ/HQ/NER (Computer No: 90577) दिनांक 17.03.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव/महाप्रबन्धक
- 2- सचिव/अपर महाप्रबन्धक
- 3- सभी विभागाध्यक्ष,
- 4- प्रविस
- 5- सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
- 6- सभी कार्मिक अधिकारी,
- 5- सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
- 6- महामंत्री/एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर
- 7- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर
- 8- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/ गोरखपुर
- 9- महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर।
- 10-सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
- 11-सकाधि/ल.न.मि.रे.चि./गोरखपुर का नोट दिनांक 24.02.2023 (मिसिल संख्या ई/एच/90/नर्सिंग स्टाफ/पदोन्नति/भाग-11) के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित ।


कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक